अनुसूची 14 – फारम सं0 562 ।

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक – ता0 15/12/18 तक

जिला – ....**मुंगेर** .... सन् 2018

केश का प्रकार – **जमालपुर प्रखंड** अंतर्गत अपात्र पी0एच0एच0 कार्डधारियों से संबंधित अभिलेख।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
15/12/18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3738/खाद्य, दिनांक 21.06.2016 के आलोक में राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु SECC Data का भौतिक सत्यापन कराया गया। निदेशानुसार सत्यापनोंपरांत डाटा पंजी से अपात्र परिवारों को चिह्नित कर विभागीय निदेश के आलोक में निम्नांकित कार्डधारियों को एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर के समक्ष रखने हेतु अनुमंडल कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, कि क्यों नहीं उनके राशन कार्ड को अपात्र श्रेणी में रहने के कारण रद्द कर दिया जाय। तदुपरान्त 01 (एक) राशन कार्डधारी द्वारा नोटिस के आधार पर अपना राशन कार्ड रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन की जांच की गयी। जांचोपरांत आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकनोपरान्त अपात्र की श्रेणी में मानते हुए राशन कार्ड रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।	

क0	नाम/पिता पति का नाम एवं पता	राशन कार्ड सं0	इकाई	कार्ड का प्रकार
1	2	3	4	5
1	निशा अनुपम, पे0 नरेन्द्र मंडल, पता– पाटम पश्चिमी	10240030044012000048	4	PHH

मूल अभिलेख सभी कागजात सहित अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

15/12/18

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
जमालपुर।

15/12/18

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
जमालपुर।

18/12/18

अभिलेख उपस्थापित। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमालपुर के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा के आलोक में अभिलेख में क्रमांक 01 (एक) पर अंकित कार्डधारी के पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड (पी0एच0एच0) को रद्द किया जाता है। संबंधित को सूचना निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, मुंगेर।

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, मुंगेर।

ज्ञापांक 730/आ0, दिनांक 18-12-18

प्रतिलिपि : प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त राशन कार्ड को विभागीय निदेश के आलोक में ऑनलाईन रद्द कराना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि रद्द किए गए कार्डधारी का उपावंटन नहीं हो सके।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, समाहरणालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, मुंगेर।